संख्या-32/1716/78-2-2013-69आई0टी0./2013

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक 08 नवम्बर, 2013

विषय:- नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत रू0 09.00 करोड़ की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टेड वाइड रोल आउट आफ ई-डिस्ट्रक्ट के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अन्तर्गत नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 38ऋ60 करोड में से रू0 9,00,00,000/- (रूपये नौ करोड़ मात्र) की स्वीकृति निर्गत कर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त का भुगतान संबंधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय निगम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6 (ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को द्वारा धनराशि का आहरण कर उसे राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स को उपलब्ध कराया

जायेगा। राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा उक्त धनराशि को योजनाओं से संबंधित के बैंक एकाउन्ट में रखा जायेगा।

(3) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1417/दस-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गई प्रक्रियानुसार सेट्रल सर्वर के माध्यम से संबंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि के आहरण वितरण का लेखा जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहॉ भी रखा जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से एसीए के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में ही प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा स्वीकृति धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में किया जायएगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्टेट वाइड रोल आउट आफ ई-डिस्ट्रिक्ट के भुगतान में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय के उपरान्त उ0प्र0 सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 भारत सरकार उद्योग निदेशक तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि प्रोजेक्ट की धनराशि होगी।

(9) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आया-व्ययक के अनुदान संख्या-7 उद्योग (भारी एवं मध्य उद्योग) लेखाशीर्ष 2852-उद्योग (आयोजनागत) 80-सामान्य, 800-आय व्यय, 09-नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(10) यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 की अशासकीय पंजी संख्या-ई-6-498/दस-2013, दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)

विशेष सचिव

संख्या:32/1716 (1)/78-2-2013 तददिनांक

उपर्युक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट लखनऊ उत्तर प्रदेश।

3- संयुक्त निदेशक उद्योग लखनऊ मण्डल लखनऊ ।

4- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/यूपीएलसी लखनऊ।

5 उपमहानिदेशक एवं एसआईओ, एनआईसी, यूपीयूनिट लखनऊ।

6- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

7- संचिव, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली

8- महा निदेशक एन0आई0सी मुख्यालय नई दिल्ली

9- उप निदेशक, वित्त मंत्रालय प्लान फाइनेन्स-1 डिवीजन, व्यय विभाग भारत सरकार नई दिल्ली।

10- निदेशक, वित्तीय, सांख्यिकी निदेशालय 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु;-4/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अऩ0-2

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मला श्रीवास्तव)

अनु सचिव